कार्यालय आदेश सं० 64 दिनांक 19 मार्च, 2020

आम सूचना

भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस बिमारी–2019 को संक्रमण माहामारी के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप समस्त नागरिकों को सावधानी वर्तना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कर्मचारी प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी आगरा के आदेश संख्या 2280/ओएसडी दिनांक 18.03.2020 में समस्त परिसर स्वामियों/संचालकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि आगरा छावनी क्षेत्र के समस्त सिनेमा हॉल/मल्टीप्लैक्स, मॉल, तरण ताल (Swimming Pool), व्यायामशाला (Gym), कोचिंग संस्थान, नर्सिंग, समस्त शैक्षिक तकनीकी संस्थान एवं ऐसे समस्त स्थान/संस्थान जहाँ Mass Gathering की सम्भावना होती है/हो रही है, को दिनांक 02.04.2020 तक बंद रखा जा रहा है। जिनमें छावनी परिषद् आगरा द्वारा संचालित समस्त पार्क/गार्डन/पब्लिक स्थान पर एकत्रित होने के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा।

अतः छावनी परिषद् आगरा के क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त समस्त सम्बन्धितों को जिला अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार स्थान/संस्थान बन्द रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद् आगरा
(ज्योति कपूर, आई०डी०ई०एस०)

वितरणः–

1. कार्यालय आदेश पुस्तिका
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
3. दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र – को जनहित में प्रकाशित किये जाने हेतु।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर – बेवसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. सफाई निरीक्षक, छावनी परिषद् आगरा
6. पुस्ताकालय, कम्पनी गार्डन, छावनी परिषद् आगरा